



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/ATY-666/JH/9/2022-RO-RNC

दिनांक: 20.08.2024

सेवा मे,

श्री अनुराग गुप्ता,
पुलिस महानिदेशक,
झारखण्ड सरकार
DRPD बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय,
धुर्वा, राँची, झारखण्ड-834004
ई:मेल-dgp@jhpolic.gov.in
dgpjharkhand@gmail.com

श्री राहुल कुमार सिन्हा
उपायुक्त,
जिलारांची -,
कलेक्टर कार्यालय,
ब्लॉकए-, कचहरी चौक,
जिलारांची -, झारखंड -834001
Email Id: dc-ran@nic.in

श्री चंदन कुमार सिन्हा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला रांची -,
एसएसपी कार्यालय,
जिलारांची-, झारखंड -834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolic.gov.in

विषय: "भूमाफियाओं द्वारा हमें झूठे मुकदमा में फँसाने की कोशिश करने के संबंध में-" - श्री एतवा उरांव, पिता स्व-
बुधवा उरांव एवं अन्य, ग्राम कुर्गी-, पो० कुल्ली -, थानाइटकी-, जिलारांची का अभ्यावेदन। -
संदर्भ: कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची पत्र दिनांक 20.07.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड) में दिनांक 27.08.2024 को 10:00 A.M. बजे सिटिंग निर्धारित की है।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर. मीणा/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID :hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री एतवा उरांव एवं अन्य,
पिता -स्व० बुधवा उरांव,
ग्राम- कुर्गी, पोस्ट - कुल्ली,
थाना - इटकी, जिला -राँची -835303 (झारखंड)
Ph. No. 9931601797 (इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रांची - पत्र दिनांक 20.07.2024 से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है)